

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(9)राज/वाद/22

जयपुर, दिनांक 06/2/23

:: आदेश ::

श्री लोकेन्द्र सिंह, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, झुन्झुनू की सेवायें
तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

आज्ञा से,

टूट

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सैशन न्यायाधीश, झुन्झुनू।
- 8 विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो, झुन्झुनू।
- 9 जिला कलक्टर, झुन्झुनू को प्रेषित कर लेख है कि विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो झुन्झुनू के पद पर नियुक्त हेतु जिला एवं सैशन न्यायाधीश झुन्झुनू की अनुशंसा/ परामर्श उपरान्त कम से कम 03 अधिकतम सम्भवत 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल मय बार्याडाटा एवं घोषणा पत्र के साथ अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें।
- 10 विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो झुन्झुनू के पद पर नियुक्त होने तक, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, झुन्झुनू को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, झुन्झुनू में राज्य की ओर से समुचित पैरवी करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- 11 संबंधित कोषाधिकारी।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 15 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 16 रक्षित पत्रावली।

30/06/23
शासन सचिव, विधि